न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—28/2018 (2018/00069) वाद पत्र

उनवान

1—बालु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नेनु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—चोथु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—महेन्द्रकुमार पिता गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मंजु पुत्री गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सुमन पुत्री गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—प्रेमाबेन पत्नि गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—शान्तिलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मिश्रीलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भंवरलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मनोहरलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—मूलचन्द पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 43, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—28.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1668 रकबा 1 बीघा भूमि अन्य आराजी के साथ साबिक आराजी संख्या 384 पर दर्ज रेकार्ड थी। उक्त साबिक आराजियात को वादीगण ने हगामीलाल पिता रूपचन्द महाजन निवासी बोराणा के बन्धक की जिसका उक्त जमाबन्दी में दर्ज हुआ है। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 1668 रकबा 1 बीघा भूमि के बन्धक का इन्द्राज जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 में कायम हुआ जिस समय वादीगण ने खातेदार शोभालाल पिता रामचन्द्र महाजन निवासी बोराणा से साबिक आराजी संख्या 1571 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि तथा चाह नम्बर 1588 का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया जिसका नामान्तरण संख्या 1498 दिनांक 28.09.1992 को वादीगण के नाम पर दर्ज होकर राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड किया गया। भूपब्रन्ध होने पर साबिक आराजी संख्या 1668 रकबा 1 बीघा व साबिक आराजी संख्या 1571 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के नवीन नम्बर आराजी संख्या 3385 रकबा 0.18 है. आराजी संख्या 3386 रकबा 0.16 है. आराजी संख्या 3387 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 3388 रकबा 0.22 है0 कायम हुए प्रमाण में नकल जमाबन्दी मीलान क्षेत्रफल एवं नवीन जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक प्रस्तुत की है। वादीगण की साबिक आराजियात संख्या 1068 रकबा 1 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज हगामीलाल पिता रामस्वरूप महाजन के बन्धक की गई थी जिसका इन्द्राज राजस्व जनाबन्दी में दर्ज है। उक्त इन्द्राज विधि द्वारा पारित नियम एवं कानून के किया गया जिसका इन्द्राज विहित अवधी पश्चात् पुनः राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना न्यायोचित था लेकिन इन्द्राज पुनः जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 व इससे आगे रोटेशन से लगातार दर्ज होता गया साथ ही वादीगण द्वारा क्रय की गई साबिक आराजी संख्या 1571 रकबा 2 बीघा 13. बिस्वा भुमि को भी बन्धक के रूप में प्रतिवादीगण के पुर्वज हगामीलाल के नाम पर दर्ज कर दी जो सरासर गलत है। राजस्व एजेन्सी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उक्त इन्द्राज को नहीं हटाया एवं लगातार रोटेशन की जमाबन्दी में दर्ज करते चले गये तथा हगामीलाल की मृत्यु के पश्चात उनकी विरासत प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये जो गलत है प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम बतौर राजस्व रेकार्ड में बन्धक मु०बी०क० के रूप में दर्ज है तथा उक्त वर्णित भुमियां वादीगण के उपयोग उपभोग में होकर वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है जिससे उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया। वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करें न अन्य से कराये। प्रतिवादीगण के नाम बन्धक दर्ज भुमि करीब 29 वर्ष से वादीगण के उपयोग उपभोग मै होकर वादीगण ही कास्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण को उनका नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण ग्राम बोराणा से अपनी सकुनत तर्क कर वर्षों से अहमदाबाद (गुजरात) रहने लग गये तथा वादीगण को लगातार आश्वासन देते रहे कि जब भी हम ग्राम बोराणा आयेगे तो उक्त इन्द्राज का दाखला तहसील में आकर हटवा देगे लेकिन अब तक भी उन्होंने इन्द्राज नही हटवाया वादीगण ने अंतिम बार दिनांक 25/03/2018 को कहा लेकिन उन्होंने टालमबाजी का जवाब दिया तथा इन्कार हो गये जिससे विवश होकर वादीगण को बाद हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। वादीगण की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम 3 में वर्णित आराजियात से प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस अदम तामिल प्राप्त होकर अहमदाबाद रहेना बताया गया जिस पर राष्ट्रीय स्तर के अखबार में प्रकाशन कराया गया और तारीख 12.11.2021 निर्धारित की गई थी उसके बाद 14.12.2021 निर्धारित की गई उसके उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 फॉरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के समर्थन में चौथु पिता हजारी एवं नेनु पिता हजारी के बयान कराये गये और अन्त में वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि ग्राम बोराणा की साबिक जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 खाता संख्या 384 पर दर्ज आराजी संख्या 1668 रकबा 1 बीघा भूमि पर हगामीलाल पिता स्वरूप चन्द महाजन के नाम मु.बी.क. दर्ज रेकार्ड है इसी प्रकार संवत 2042 से 2045 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 1668 रकबा 1 बीघा एवं 1571 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि भी मु.बी.क. हगामीलाल पिता स्वरूप चन्द्र महाजन के रहन दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार नवीन आराजी संख्या 3385, 3386, 3387, 3558 पर भी मु.बी.क. हगामीलाल पिता स्वरूपचन्द्र महाजन के नाम रहन दर्ज होकर आज दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

तक रहन दर्ज बदस्तुर चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के तहत् मु.बी.क. की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है और भू प्रबन्ध के दौरान अगर रहन दर्ज हो तो उसकी अवधि 20 वर्ष निर्धारित है उसके बाद रहन की अवधि समाप्त हो जाती है। इस प्रकरण में संवत 2037 की जामबन्दी में रहन दर्ज है जिसको लगभग 35 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है किन्तु राजस्व रेकार्ड में मु.बी.क. श्री हगामीलाल पिता स्वरूप चन्द महाजन के नाम रहन बदस्तुर चली आ रही है। साथ ही प्रकरण में जो आराजी जिस व्यक्ति के नाम मु.बी.क. दर्ज रेकार्ड है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु होने से उनके वारीसान के नाम भी भूमि मु.बी.क. के रूप में दर्ज की जाने का कोई प्रावधान नही है। मु.बी.क. की अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 3385, 3386, 3387, 3558 पर श्री हगामीलाल पिता स्वरूपचन्द्र महाजन का नाम मु.बी.क. के रूप में दर्ज रेकार्ड है जिसे हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–28 / 2018 (2018 / 00069) वाद पत्र

उनवान

1–बालु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–नेनु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–चोथु पिता हजारी कुमावत निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–महेन्द्रकुमार पिता गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–मंजु पुत्री गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–सुमन पुत्री गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–प्रेमाबेन पत्नि गहरीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–शान्तिलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–मिश्रीलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भंवरलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मनोहरलाल पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–मूलचन्द पिता हगामीलाल महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 73, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 3385, 3386, 3387, 3558 पर श्री हगामीलाल पिता स्वरूपचन्द्र महाजन का नाम मु.बी.क. के रूप में दर्ज रेकार्ड है जिसे हटाया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

28.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा